राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांकः–एफ 5(13)रा.आ. / स्था. / स.बै.अजमेर / 2018 / 2067 दिनांकः 12.09.2023

कार्यालय आदेश

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89 (9)एफडी / सीपी / 2003 जयपुर दिनांक 18.05.2012 की अनुपालना मे एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 2023–2038 दिनांक 12.09.2023 की पालना में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच, अजमेर में दिनांक 26.09.2023 से कार्य प्रारम्भ करेंगी। अजमेर संभाग से सम्बन्धित जिला (अजमेर, ब्यावर, केकडी, नागौर, डीडवाना–कुचामन एवं शाहपुरा) के राज्य आयोग से सम्बन्धित उद्भूत होने वाले मूल प्रकरणों / अपीलों तथा समय–समय पर माननीय अध्यक्ष, राज्य आयोग, जयपुर के विशिष्ट आदेशों द्वारा स्थानान्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।

निर्देशानुसार राज्य आयोग की सर्किट बैंच, अजमेर की बैठक दिनांक 26.09.2023 एवं 27.09.2023 के पश्चात प्रत्येक माह के पांचवे सप्ताह के अन्तिम दो कार्य दिवस जिनमें राजकीय अवकाश व भरतपुर सर्किट बैंच ना हो (पांचवे सप्ताह के उक्त दो कार्य दिवस पर राजकीय अवकाश होने पर पूर्ववर्ती दो कार्य दिवस एवं इसी अनुरुप पॉचवे सप्ताह में दो कार्य दिवस शेष नहीं रहने पर आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दो कार्य दिवस, जिनमें कोई राजकीय अवकाश व भरतपुर सर्किट बैंच ना हो) के लिये राज्य आयोग सर्किट बैन्च, अजमेर की बैठक उक्तानुसार आयोजित होगी तथा समय– समय पर माननीय अध्यक्ष, राज्य आयोग के निर्देशानुसार बैठक व्यवस्था में संशोधन किया जा सकेगा।

Sd/-
(अशोक कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–एफ 5(13)रा.आ. / स्था. / स.बै. / 2018 / 2068-2080 दिनांकः 12.09.2023
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर ।
4 जिलाधीश / संभागीय आयुक्त, अजमेर।
5 निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर (राज.)।
6 प्रभारी अधिकारी, राज्य आयोग सर्किट बैंच, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं अजमेर।
7 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त (राज.)।
8 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर ।
9 अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, जयपुर।
10 अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
11 अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, जिला न्यायालय, अजमेर, ब्यावर, केकडी, नागौर, डीडवाना–कुचामन एवं शाहपुरा।
12 रक्षित पत्रावली।

12.9.2023
(अशोक कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार